संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, नया रायपुर

संक्षिप्त विज्ञापन

क्रमांक– /सं.म.पा./स्था./भर्ती/2015–16 रायपुर दिनॉक

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ज्ञापन क्रमांक– एफ/13–15/2012/आ.प्रा./1/3 रायपुर दिनॉक 18/07/2012 एवं क्रमांक एफ 20–4/2015/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनॉक 25/08/2015 में निहित निर्देशानुसार मछली पालन विभाग में निःषक्तजनों के रिक्त बैकलाग पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का पदनाम, वेतनमान, निम्नानुसार है –

रिक्त पदों की संवर्गवार संख्या, एवं आरक्षण का विवरण निम्न तालिका अनुसार है–

क्र.	पदनाम एवं वेतन मान	रिक्त पद एवं आरक्षण की स्थिति का विवरण		
		कुल रिक्त पद	निःषक्तजन हेतु आरक्षित (अस्थि, दृष्टि, श्रवण बाधित)	निःषक्तजन की उपयुक्तता
1	2	3	4	5
1	सहायक वर्ग – 03 वेतनमान रू0 5200–20200/– ग्रेड पे 1900/–	01	01	OA, OL, OAL, BL, B, LB. HH

शब्द संक्षेपों का अर्थ– OA – एक हाथ, OL –एक पैर, OAL – एक हाथ पैर, BL –दोनों पैर B – नेत्रहीन LB – कम दृष्टि HH – बहरा।

निर्धारित शैक्षणिक अर्हता – (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति धण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, वॉछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की **स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित** छायाप्रतियों सहित, **केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनॉक 23 नवम्बर 2015 को सांय 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व संचालनालय मछली पालन, छ0ग0 इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी खंड, नया रायपुर के पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए।**

विस्तृत विज्ञापन एवं नियम, शर्तों की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप रोजगार एवं नियोजन, तथा मछली पालन विभाग की विभागीय वेबसाइट www.fisheries.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

विज्ञापन

क्रमांक– /सं.म.पा./स्था./भर्ती/2015–16 रायपुर दिनॉक

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ज्ञापन क्रमांक– एफ/13–15/2012/आ.प्रा./1/3 रायपुर दिनॉक 18/07/2012 एवं क्रमांक एफ 20–4/2015/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनॉक 25/08/2015 में निहित निर्देशानुसार मछली पालन विभाग में निःषक्तजनों के रिक्त बैकलाग पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का पदनाम, वेतनमान, निम्नानुसार है –

क) **सहायक वर्ग – 03,** वेतनमान रू0 5200–20200/–, ग्रेड पे 1900/– रिक्त पद की कुल संख्या– 01 पद।
रिक्त पदों की संवर्गवार संख्या, एवं आरक्षण का विवरण निम्न तालिका अनुसार है–

क्र.	पदनाम एवं वेतन मान	रिक्त पद एवं आरक्षण की स्थिति का विवरण		
		कुल रिक्त पद	निःषक्तजन हेतु आरक्षित (अस्थि, दृष्टि, श्रवण बाधित)	निःषक्तजन की उपयुक्तता
1	2	3	4	5
1	सहायक वर्ग – 03 वेतनमान रू0 5200–20200/– ग्रेड पे 1900/–	01	01	OA, OL, OAL, BL, B, LB. HH

शब्द संक्षेपों का अर्थ– OA – एक हाथ, OL –एक पैर, OAL – एक हाथ पैर, BL –दोनों पैर B – नेत्रहीन LB – कम दृष्टि HH – बहरा।

निर्धारित शैक्षणिक अर्हता – (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति धण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

नियम एवं शर्तें –

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. **आयु सीमा –** उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थी, ने **दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।** आयु सत्यापन हेतु पॉचवी अथवा आठवीं अथवा दसवीं की अंक सूची/प्रमाण–पत्र की **स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति** आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत् निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।**
3. अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5. आवेदक ''जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो,'' नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। **केवल उन आवेदकों ''जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं'' को अपनी पात्रता के संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।**

6. शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक ने अपने नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो तथा आवेदन प्रस्तुत करना प्रमाणित करता हो तो आवेदन पत्र विचारणीय होगा, तथापि चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में अथवा पश्चात्, नियोक्ता से आपत्ति प्राप्त होने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

7. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। फोटो को स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थानों में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किये जावेंगें।

8. कौषल परीक्षा के समय आवेदक को समस्त आवष्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ तथा स्व सत्यापित अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित 1–1 छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

9. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा ।

10. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा हुआ **दो लिफाफा बिना टिकट लगाये** संलग्न करना होगा।

11. बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेंगी, या विज्ञप्ति निरस्त भी किया जा सकेगा।

12. शासन द्वारा नियमों/ भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।

13. **चयन प्रक्रिया –** आवेदनों की छानबीन पश्चात् पात्र पाये गए अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगा –

क. प्रथमतः प्राप्त आवेदनों की विहित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

अथवा आवश्यक होने पर

ख. चयन हेतु परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

उपरोक्त मेरिट सूची के आधार पर 1:12 के अनुपात में कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से उच्च शैक्षणिक अर्हता पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किये जावेंगें।

मापदंड :– विहित शैक्षणिक अर्हता 10+2/स्नातक प्रथम वर्ष में प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिषत – अधिकतम 50 अंक, कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन कौशल परीक्षा – अधिकतम 50 अंक, **कुल अंक – 100 अंक**

14. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।

15. छ0ग0 के स्थानीय निवासियों को, ''जो किसी शासकीय/अर्धषासकीय सेवा में ना हो, तथा छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं,'' को छ0ग0 शासन के नियमों के अधीन, साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान किया जावेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को वॉछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा व्यय की पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। अतः वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से अथवा स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति, यात्रा के टिकट एवं घोषणा पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगें तभी उन्हें यात्रा व्यय (टिकट किराया) का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा।

16. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी यदि चयन के उपरान्त असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

17. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ज्ञाप क्रमांक – एफ 13–15/2012/आ.प्रा./1/3 दिनॉक 18/07/2012 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियॉ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटि. (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012, तथा 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी एवं विज्ञाप्ति किये गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में, माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय होगा।

18. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने पर सेवा नियमित की जा सकेगी।

19. प्रतीक्षा सूची, जारी होने के दिनॉक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

20. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक मत्स्योद्योग, छ0ग0 रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

21. आवेदक, आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नम्बर अवष्य अंकित करें। आवेदक को साक्षात्कार, चयन एवं नियुक्ति की तत्संबंधी सूचनाएँ पत्र के अतिरिक्त दिए गए मोबाइल नम्बर पर केवल **DMNICSMS** से केवल एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक ध्यान दें कि उन्हें विभाग की ओर से किसी प्रकार का फोन (Call) नहीं किया जावेगा, अतः चयन अथवा नियुक्ति के संबंध में यदि काल आता है तो उस पर ध्यान ना देवें।

22. **आवेदक को चाहिये कि विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर आवेदन पत्र में सही–सही, स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी भरे। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें एवं इस संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी, आवेदन के निरस्त होने के लिए आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा। किसी भी पद हेतु एक अभ्यर्थी का एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेंगें।**

23. **आवेदन पत्र भेजने के संबंध में दिशा निर्देश–**
इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, वॉछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की **स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित** छायाप्रतियों सहित, **केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनॉक 23 नवम्बरन 2015 को सांय 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व संचालनालय मछली पालन, छ0ग0 इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी खंड, नया रायपुर के पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए।** उक्त के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डाक से हुए विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

संचालक मछली पालन
छ0ग0 रायपुर

।। आवेदन पत्र ।।

प्रति,

स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित स्वयं का फोटो

संचालक मछली पालन,
इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल,
बी खंड, नया रायपुर छ0ग0

1. आवेदित पद का नाम :– **सहायक वर्ग – 03**
2. आवेदक का पूरा नाम **(हिन्दी में)** :– ....
3. आवेदक का पूरा नाम (**अंग्रेजी के केपिटल लेटर में**) :– ....
....
4. पिता/पति का पूरा नाम :– ....
5. पत्र व्यवहार का पता :– ....
:– ....
:– ....
मोबाइल नम्बर :– ....
6. स्थायी पता :– ....
:– ....
:– ....
7. गृह जिला :– ....
8. राष्ट्रीयता :– ....
9. जन्म तिथि (अ) अंको में :– ....
(ब) शब्दों में :– ....
10. आयु **(01.01.2015 की स्थिति में)** :– वर्ष –..........................माह –..............................दिन –....................
11. आयु सीमा में छूट चाहते है ? हां/नही :– ....
यदि छूट चाहते है तो छूट का आधार – (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
12. लिंग **(महिला/पुरूष/तृतीय लिंग)** :– ....
13. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है – हां/नहीं :– ....
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. **शैक्षणिक अर्हता :– (आवेदित पद की न्यूनतम योग्यता से शुरू करे)**

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						

15. आवेदक की जाति **(कृपया जाति अंकित करे)** :– ....
जाति प्रवर्ग (अजजा/अजा0/अपिव/अनारक्षित प्रवर्ग) :– ....
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक :– ....दिनांक ....
रोजगार कार्यालय का नाम एवं पता :– ....
....

17. क्या आवेदक किसी प्रकार की निःषक्तता से बाधित है :— हॉ / नहीं
(कृपया सही का चिन्ह अंकित करे)

यदि हॉ, तो निःषक्तता का प्रकार एवं प्रतिषत अंकित करें :— ....
(प्रकार— श्रवण/दृष्टि/अस्थि बाधित अथवा अन्य) ....

कृपया तत्संबंधी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

18. क्या आप शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत हैं (हॉ/नहीं) :— ....

वर्तमान अथवा पूर्व सेवाओं का विवरण :— ....
....

अ — धारित पद का नाम :— ....

ब — कार्य की अवधि :— दिनांक .... से .... तक कुल अवधि .... वर्ष

स — नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता :— ....
....

19. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? यदि हॉ तो विवरण देवे— :—...

20. क्या आप विवाहित है हां/नहीं :— ....
यदि हां तो विवाह की तिथि अंकित करें :— ....

21. जीवित संतानों की कुल संख्या :— ....

22. ऐसे संतान की संख्या, जिनका जन्म 26.01.2001 :— ....
को या उसके पश्चात् हुआ हो।

(दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में पात्रता संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।)

23. आवेदित पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण —

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....

7.. 8. ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं ....आत्मज/आत्मजा/पति श्री... एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

स्थान :— ....
दिनांक :— ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर